UPSI180037552022

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर।

फौजदारी वाद संख्या-3061/ 2022

सरकार **बनाम** **मेहंदी हसन आदि।**

अपराध संख्या-228/ 2021
धारा-323,325,504 भा०दं०सं०
थाना-थानगाँव, जिला-सीतापुर।

आरोप

मैं, रोहित पुरी, सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर आप अभियुक्तगण **मेहंदी हसन, तफज्जुल, सिराज एवं श्रीमती सहजहाँ** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ-

1. यह कि दिनांक-18.06.2021 को समय करीब 08.00 बजे सुबह, स्थान बहद ग्राम-चहलारी, थाना-थानगाँव, जिला-सीतापुर के सीमान्तर्गत आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा मो० अनीश को लात-घूसों व लाठी-डंडों से मार-पीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो **धारा-323 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने उपर्युक्त वादी मुकदमा को मार-पीटकर उसकी बायीं बांह की हड्डी (ह्यूमरस) का ऊपरी सिरा, जो कंधे के जोड़ का बॉल बनाता है, में फ्रैक्चर कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो **धारा-325 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने उपर्युक्त वादी मुकदमा को गन्दी-गन्दी गालियां देकर साशय अपमानित किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो **धारा-504 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोप के सम्बन्ध में आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनांकः-04.09.2025 (रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांकः-04.09.2025 (रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।

विजय मौर्य
(स्टेनो)

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2025.09.04 17:07:59 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M. Mahmudabad, Sitapur.